

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2016/ज्येष्ठ 6, 1938

No. 1315]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2016/JYAISTHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2016

का.आ. 1904(अ) —केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 163 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जून, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम का अध्याय 8 प्रवृत्त होगा।

[अधिसूचना सं. 37/2016/फा. सं. 370142/12/2016-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायण, अवर सचिव (कर नीति और विधान)